eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

वैश्विक महामारी कोविड–19 की रोकथाम के लिए महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020 कितना कारगर सिद्ध हुआ–एक अध्ययन

[1]**सोना धनगर**

[1]शोधकर्ता, विधि संकाय, बीजीआर परिसर, हे0न0ब0ग0 विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड.

Received: 11 Jan 2021, Accepted: 12 Jan 2021, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2021

Abstract

वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित वैश्वविक महामारी कोविड–19 की रोकथाम हेतु केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये जिसके लिये महामारी अधिनियम 1897 को संशोधित कर महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 पारित किया गया। देश के सभी राज्यों द्वारा और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिनिमय के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी की है। इस अधिनियम के तहत कुछ प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद भी कई राज्य मुख्य रूप से महामारी के प्रसार को कम करने जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इस अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं, जो राज्य सरकार को संकट के दौरान एक निर्दिष्ट तरीके से कार्य करने के लिये दिशा निर्देशित कर सके।

महामारी अधिनियम 1897 एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना भी नहीं हुई थी, इस कारण यह अधिनियम इन संगठन द्वारा जारी दिश–निर्देशों के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ था। आवश्यक थी कि मौजूदा संक्रमण के दौरान विधायिका को देश के सामने मौजूद चुनौतियों और कठिनाईयों पर विचार करना चाहिए, तथा उनके अनुसार एक नवीन तथा प्रभावी कानून का निमार्ण करना चाहिए। इसी समस्या के समाधान हेतु विधायिका द्वारा उक्त अधिनियम में कुछ संशोधन कर **महामारी संशोधन विधेयक, 2020** पारित किया गया। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा पूरे देश में **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** को भी लागू करना आवश्यक समझा। शोधार्थी प्रस्तुत लेख द्वारा सम्बन्धित अधिनियमों व विधेयक की उपयोगिता को परखते हुए वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु अपने निष्कर्ष व सुझाव को साझा करने का एक छोटा प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दावली– वैश्विक महामारी, कोविड–19, रोकथाम, महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रत्येक नागरिक व व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किये गये हैं। भाग 3 के अनुच्छेद 21 उपबन्धित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का अधिकार होगा।[1] इस अनुच्छेद के अन्तर्गत व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, वहीं राज्य पर अनुच्छेद 47 में यह दायित्व अधिरोपित करते हैं कि **“राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा।”[2]**

वर्तमान समय में, विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिसका प्रभाव भारत में बडे स्तर पर देखने को मिला। कोविड–19 संक्रमण के चलते जहॉ लोगों में भय का वातावरण बना है, वहीं इस समस्या से निजात पाने को हर कोई लालायत है। महामारी ने हालात बत से बत्तर बना दिये, एक तरफ अस्पताल में मरीजों की लाईन इतनी बढ़ने लगी कि मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नसीब नही हुए तो दूसरी और समाज में असुन्तलन की स्थिति बन गयी। ऐसी स्थिति में सरकार को भी समस्या से निपटने के लिये कड़े कदम उठाने पड़ें। विभिन्न कानूनों को पारित कर सरकार को समस्या से निपटने में कुछ राहत तो मिली, किन्तु समस्या के पूर्ण समाधान हेतु एक निश्चित उपाय प्राप्त करने में सरकार असफल रही जिसका हरजाना बहुत जानों को गवा कर भुगतना पड़ा है।

1. भारत का संविधान अनुच्छेद 21,
2. भारत का संविधान अनुच्छेद 47,

वैश्विक महामारी कोविड–19 : एक परिचय

कोरोना वायरस विश्व महामारी (2019–20) की शुरूआत एक नए किस्म के कोरोना वायरस (2019–nCoV) के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियॉ बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की जिसे 2019–nCoV प्रारम्भिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70 प्रतिशत वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सार्स–कोरोना वायरस में पाए जाते हैं।

संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक पी0सी0आर0 परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े हुए थे। पहले यह स्पष्ट नहीं था कि यह वायरस सार्स जितनी ही गम्भीरता या घातकता का है अथवा नही।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

20 जनवरी 2020 को चीनी प्रीमियर ली केकियांग ने नावेल कोरोना वायरस के कारण फैलने वाली निमोनिया महामारी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निर्णायक और प्रभावी प्रयास करने का आग्रह किया। 14 मार्च 2020 तक दुनिया में इससे 5,800 मौतें हो चुकी हैं। इस वायरस के पूरे चीन में, और मानव से मानव संचरण के प्रमाण हैं। 9 फरवरी तक व्यापक परीक्षण में 88,000 से अधिक पुष्ट मामलों का खुलासा हुआ था, जिनमें से कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी हैं। 20 मार्च 2020 तक थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, मकाऊ, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, वियतनाम, भारत, ईरान, इराक, इटली, कतर, दुबई, कुवैत और अन्य 160 देशों में पुष्टि के मामले सामने आए हैं।

30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को अन्तर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस की महामारी को नया नाम कोविड–19 दिया।[3] कोविड–19 शब्द अनेक शब्दों का समिश्रण है अर्थात corona+virus+disease+2019= covid-19.[4]

3. कोविड–19 रिपोर्ट https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

कोविड–19 वायरस से अब तक पूरे विश्व में 19 करोड़ लोग संक्रमित हो गये है, तथा 40 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी हैं, वही भारत की बात की जाय तो भारत में 3 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, तथा 4 लाख लोगो की मृत्यु हो चुकी है, और यदि उत्तराखण्ड़ की बात की जाय तो उत्तराखण्ड में 3 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, तथा 7 हजार लोगों की अब तक इस वायरस से मौत हो चुकी है।[5]

कोरोना वायरस तथा वायरस के कारण समाज में उत्पन्न समस्याएं

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को वैश्विक महामारी घोषित करते ही सभी देशों की सरकारों कोरोना वायरस के संक्रमण को नियन्त्रित करने के लिये सुरक्षा उपाय किये गये। भारत में कोरोना वायरस के आने पर मौजूदा मोदी सरकार द्वारा जनता को सम्बोधित करते हुए 22 मार्च 2020 को पूरे देश को 3 दिन के लिये लॉकडॉउन किया गया अर्थात किसी को भी अपने घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जिसका जनता द्वारा पूर्ण समर्थन भी किया गया। जिसकी सीमा सरकार द्वारा समय–समय पर बढ़ायी गयी। भारत ही नहीं अपितु लगभग सभी देशों ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडॉउन को ही बेहतर कदम माना। किन्तु हमारे मजदूर भाई जोकि अपने घरों से बाहर जाकर रोजगार करते थे आखिर कब तक बिना मजदूरी के अपना व अपने परिवार जनों का पेट पालते।

लॉकडॉउन का परिणाम यह रहा कि लोगों के मध्य निम्नलिखित समस्यायें उत्पन्न होने लगी, जिसमें मुख्य समस्याऐं निम्न थीं –

- बेरोजगारी,
- भूखमरी,
- गरीबी,
- चिकित्सीय उपचार न मिल पाना,
- कोरोना वायरस के कारण अन्य बीमारी का उपचार भी न मिल पाना,
- लोगो में भय की स्थिति पैदा होना,
- मानसिक तनाव,
- पारिवारिक झगड़े,
- कोरोना वॉरियर व फ्रण्टलाईन वर्करों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाना,
- यातायात का सुचारू न होना,
- व्यापार का ठप हो जाना,
- शिक्षा व्यवस्था का ठप हो जाना, इत्यादि।

---

4. **विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट, https://www.who.int**
5. **कोविड–19 रिपोर्ट, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019**

सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडॉउन करते ही समाज के सामने जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई वह भूखमरी व बेरोजगारी की थी, इनमें वह लोग सबसे अधिक थे जो कि अपने शहर से बाहर जाकर काम कर रहे थें, जो अब सब बेघर हो चुके थे। लोग सड़कों पर उतर आये और अन्य राज्यों में रह रहे मजदूर अपने घर वापस जाने को मजबूर हो गये, किन्तु घर वापस लौटना भी एक बडी समस्या थी क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में यातायात ठप पडा था। यातायात व रेलमार्ग के बन्द रहने पर लोग पैदल ही अपने–अपने घरों को निकल पड़े, जिससे उनके सामने बेघर–गर्मी–भोजन तीनों समस्याऐं एक साथ पहाड़ बनकर टूट पड़ी। जिस कारण कई लोगो ने आधे रास्ते पर ही अपना दम तोड़ दिया। शायद उनकी यात्रा कारोना–काल तक की ही थी। किन्तु स्मरण रहे उन लोगों ने कोरोना से हार नहीं मानी, इस समय हार हुई थी हमारी सरकार की विफल नीतियों की, जो कि कोरोना–काल के दौरान सरकार द्वारा लागू की गयी थीं।

वैश्विक महामारी कोविड–19 की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा लागू किये गये अधिनियम व अध्यादेश: एक परिचय

वैश्विक महामारी कोविड–19 की रोकथाम व संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित अधिनियम व अध्यादेश के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किये गये–

- महामारी अधिनियम, 1897,
- महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005

1. महामारी अधिनियम, 1897[6]

खतरनाक महामारियों के प्रसार की बेहतर रोकथाम का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम 4 फरवरी 1897 को निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है, अधिनियम में कुल 5 धारायें हैं, जो कि निम्न प्रकार से प्रावधान करती हैं।

- अधिनियम की धारा 1 में अधिनियम के नाम व विस्तार के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
- अधिनियम की धारा 2 द्वारा राज्य सरकार को खतरनाक महामारी के सम्बन्ध में विशेष उपाय करने और विनियम विहित करने की शक्ति दी गयी है।
- अधिनियम की धारा 2(क) द्वारा केन्द्र सरकार को खतरनाक महामारी का प्रकोप होने पर विनियम विहित करने की शक्ति दी गयी है।
- अधिनियम की धारा 3 शास्ति के सम्बन्ध में प्रावधान करती है कि विनिमय या आदेश की अवज्ञा करने पर यह समझा जायेगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है।

6. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1897-03.pdf

- अधिनियम की धारा 4 अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों के संरक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।

2. महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020[7]

महामारी अधिनियम, 1897 का और संशोधन करने कि लिए विधेयक अध्यादेश के रूप में 22 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त हआ। अध्यादेश में कुल 8 धारायें हैं, जो कि निम्न प्रकार से प्रावधान करती हैं।

- अध्यादेश की धारा 1 संक्षिप्त नाम, तथा प्रारम्भ के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- अध्यादेश की धारा 2 महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 1 में विस्तार क्षेत्र के सम्बन्ध में संशोधन करती हैं।
- अध्यादेश की धारा 3 के द्वारा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 1 के पश्चात् धारा 1क को अंतःस्थापन किया गया है जो कि परिभाषा खण्ड़ है जिसमें कि हिंसा का कृत्य, स्वास्थ्य देखरेख सेवा कर्मिक, सम्पति, को परिभाषित किया गया है।

- अध्यादेश की धारा 4 द्वारा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2क में "तब केन्द्रीय सरकार उन राज्यक्षेत्रों में" से आरम्भ होने वाले और "कर सकेगी, जो आवश्यक हो" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्–
- "तब केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय कर सकेगी, जो वह ठीक समझे और उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, यथास्थिति, किसी भूमि पत्तन या पत्तन या हवाई अड्डा को छोडने वाली या उसमें आने वाली किसी बस या ट्रेन या माल वाहन या पोत या जलयान या वायुयान के निरीक्षण के लिए और उसमें यात्रा करने का आशय रखने वाले या उसके द्वारा आने वाले किसी व्यक्ति के निरोध के लिए ऐसे विनियम विहित कर सकेगी, जो आवश्यक हो"।
- अध्यादेश की धारा 5 द्वारा महामारी अधिनियम, 1897 में धारा 2क के पश्चात् धारा 2ख निम्न प्रकार से अंतःस्थापित की गयी अर्थात्–
  "2ख. कोई भी व्यक्ति, किसी महामारी के दौरान किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरूद्ध हिंसा का कोई भी कृत्य करने या किसी सम्पति को कोई भी नुकसान या हानि कारित करने में लिप्त नहीं होगा।"
- अध्यादेश की धारा 6 के द्वारा महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 में उपधारा 2 व 3 अंतःस्थापित किये गये जो कि निम्नलिखित हैं–
  "(2) जो कोई,–
  (i) किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरूद्ध हिंसा का कोई कृत्य करता है या करने के लिए उत्प्रेरित करता है; या

7. https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/219108.pdf

  (ii) किसी सम्पति को नुकसान या हानि कारित करता है या उसके लिए उत्प्रेरित करता है,

ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो दो लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(3) जो कोई किसी स्वास्थ्य देखरेख सेवा कार्मिक के विरूद्ध हिंसा का कोई कृत्य करते समय ऐसे व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में यथा परिभाषित घोर उपहति कारित करता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किंतु जो पाँच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।"

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

- अध्यादेश की धारा 7 महामारी अधिनियम, 1897 में धारा 3 के पश्चात् धाराएं 3क, 3ख, 3ग, 3घ और 3ङ अंतःस्थापित की गयी जो निम्नलिखित प्रावधान करती हैं–
  धारा 3क में अपराधों का संज्ञान, अन्वेषण और विचारण के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है कि अपराध संज्ञेय व अजमानतीय होगा तथा अन्वेषण 30 दिन के भीतर पूरा किया जायेगा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जॉच व विचारण एक वर्ष के भीतर पूरा हो।
  धारा 3ख में प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध अपराध किया गया है वही व्यक्ति न्यायालय की अनुज्ञा से अपराध का शमन करने में सक्षम होगा।
  धारा 3ग में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है।
  धारा 3घ में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय अपराध के सम्बन्ध मे अभियुक्त के आपराधिक मानसिक स्थिति होने की उपधारणा करेगा।
  धारा 3ङ में प्रतिकर के दायी होने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है कि दोषसिद्ध व्यक्ति न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर देने का दायी होगा।
- अध्यादेश की धारा 8 निरसन व व्यावृत्तियों के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।

3. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005[8]

आपदाओं के प्रभावी प्रबन्ध और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 दिनांक 23 दिसम्बर 2005 को अधिनियमित किया गया, अधिनियम में कुल 11 अध्याय व 79 धाराए हैं अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार से हैं–

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 1 में कुल दो धाराओं का समावेश है जो कि अधिनियम के संक्षिप्त नाम व प्रवर्तन तिथि के सम्बन्ध में तथा परिभाषा खण्ड है, जिसमें कि प्रभावित क्षेत्र, क्षमता निर्माण, केन्द्रीय सरकार, आपदा, आपदा प्रबन्धन, जिला प्राधिकरण, जिला योजना, स्थानीय प्राधिकारी, शमन, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रीय योजना, तैयारी, विहित, पुनर्निर्माण, संसाधन, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य सरकार, और राज्य योजना को परिभाषित किया गया है।

"आपदा"– आपदा से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्‌भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, या सम्पत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की से परे है।

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 2 में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकारण के सम्बन्ध में धारा 3 से 13 तक कुल 11 धाराओं में प्रावधान किया गया हैं, जोकि निम्नलिखित है–
- धारा 3 में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
- धारा 4 राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिवेशन के सम्बन्ध में प्रावधान करती है, धारा 5 में राष्ट्रय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
- धारा 6 राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियॉ और कृत्य के सम्बन्ध में प्रावधान करती हैं कि राष्ट्रीय प्राधिकरण आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाएं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- धारा 7 राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति के गठन के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- धारा 8 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- धारा 9 उपसमितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रावधान करती हैं।
- धारा 10 राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- धारा 11 राष्ट्रीय योजना के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- धारा 12 राहत के न्यूनतम मानकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।
- धारा 13 ऋण प्रतिदाय आदि में राहत के सम्बन्ध में प्रावधान करती है।

---

8. https://cdn.s3waas.gov.in/s365658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9/uploads/2018/04/2018041720.pdf

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 3 में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सम्बन्ध में धारा 14 से 24 में कुल 11 धाराओं में प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत क्रमशः राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना, राज्य प्राधिकरण के अधिवेशन, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, राज्य प्राधिकरण द्वारा सलाहकार समिति के गठन, राज्य प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्य, राज्य प्राधिकरण द्वारा राहत के न्यूनतम मानक के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त, राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उपसमितियों के गठन, राज्य कार्यकारिणी समिति के कृत्य, राज्य योजना के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य योजना नाम से जाना जायेगा तथा धारा 24 में आपदा की आशंका

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

की दशा में राज्य कार्यकारिणी समिति की शक्तियां और कृत्य के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 4 में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सम्बन्ध में धारा 25 से 34 तक में कुल 10 धाराओं में प्रावधान किया गया है, जो कि निम्नलिखित है–

  धारा 25 जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में प्रावधान करती है, जिला प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने कि राज्य सरकार विहित करे, प्राधिकरण में जिले का कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त पदेन अध्यक्ष होगा। वहीं आगामी धाराओं में जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की शक्तियों के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है, अधिवेशन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, सलाहकार समितियों और अन्य समितियों का गठन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है, जिला योजना, जिला स्तर पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा योजनाएं तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना, जिला प्राधिकरण द्वारा अध्यादेश के सम्बन्ध में प्रावधन, धारा 34 में किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य के सम्बन्ध प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिला प्राधिकरण को किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में समुदाय की सहायता करने, उसका संरक्षण करने या उसे राहत उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए–

  - जिले में किसी सरकारी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी के पास उपलब्ध संसाधनों की निकासी और उपयोग के लिए निदेश दे सकेगा;
  - अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में या उससे अथवा उसके भीतर यानों के आवागमन को नियंत्रित और निर्बंधित कर सकेगा;
  - किसी अतिसंवेदनशील या प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर, उसके संचरण और उससे उसके प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बंधित कर सकेगा;
  - मलबा हटा सकेगा, तलाशी ले सकेगा और बचाव कार्य कर सकेगा;
  - आश्रय, भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री, स्वास्थ्य देखरेख और सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा;
  - प्रभावित क्षेत्र में आपात संचार प्रणालियों की स्थापना कर सकेगा;
  - अदावाकृत शवों के निपटारे के लिए इंतजाम कर सकेगा;

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

- जिला स्तर पर राज्य सरकार के किसी विभाग या उस सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी निकाय को ऐसे आवश्यक उपाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हों;
- सुंसगत क्षेत्रों में सलाह और सहायता देने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की, जो वह आवश्यक समझे अपेक्षा कर सकेगा;
- किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से किन्हीं सुख–सुविधाओं के अनन्य या अधिमानी उपयोग का उपापन कर सकेगा;
- अस्थायी पुलों या अन्य आवश्यक संरचनाओं का सन्निर्माण कर सकेगा और ऐसी संरचनाओं को जो जनता के लिए परिसंकटमय हैं या आपदा के प्रभाव को गम्भीर बना सकती हैं, ध्वस्त कर सकेगा;
- यह सुनिश्चित कर सकेगा कि गैर सरकारी संगठन अपने क्रियाकलापों को साम्यापूर्ण और अभिवेदकारी रीति से करे;
- ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगा जिसका ऐसी किसी स्थिति में किया जाना अपेक्षित या आवश्यक हो।

➢ आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 5 में आपदा प्रबन्धन के लिए सरकार द्वारा उपाय के सम्बन्ध में धारा 35 से 40 तक में कुल 6 धाराओं में प्रावधान किया गया है, जो कि निम्नलिखित है–

केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन समझे।

भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय या विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार के निवारण, शमन, तैयारी या क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करे।

भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों की आपदा प्रंबधन योजनाओं के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक राज्य सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट सभी उपाय तथा ऐसे और उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार आपदाओं के निवारण, शमन, तैयारी और क्षमता–निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करें;

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

राज्य सरकार के विभागों की आपदा प्रबंधन योजना के तैयार करना, योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन और उन्हें अद्यतन करना, के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 6 में स्थानीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में धारा 41 में प्रावधान किया गया है, जो कि स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य के सम्बन्ध में उपबन्ध करता है कि स्थानीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए–
  - यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं,
  - यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे;
  - यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी सन्निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकथित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप हैं;
  - प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रियाकलाप करेगा।
- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 7 में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान के सम्बन्ध में धारा 42 से 43 तक में कुल 2 धाराओं में प्रावधान किया गया है, जो कि निम्नलिखित है–

  धारा 42 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से एक संस्थान का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित विस्तृत नीतियों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के भीतर रहते हुए कार्य करेगा और आपदा प्रबन्धन, दस्तावेजीकरण और आपदा प्रबन्धन की नीतियों, निवारणतंत्र, और शमन के उपायों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की सूचना के आधार के विन्यास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान की योजना बनाने और उनका संवर्धन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

  धारा 43 में राष्ट्रीय संस्थान के अधिकारी और अन्य कर्मचारी के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 8 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सम्बन्ध में धारा 44 से 45 तक में कुल 2 धाराओं में प्रावधान किया गया है, जो कि निम्नलिखित है–

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के गठन तथा बल का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राष्ट्रीय प्राधिकरण में निहित होगा।

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 9 में वित, लेखा और संपरीक्षा के सम्बन्ध में धारा 46 से 50 तक में कुल 5 धाराओं में प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी आपदा की आंशका की स्थिति या आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के नाम से ज्ञात होने वाली एक निधि का गठन कर सकेगी, राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के सम्बन्ध में, राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना के सम्बन्ध में, मंत्रालयों और विभागों द्वारा निधियों का आबंटन के सम्बन्ध में प्रावधान में, आपात उपापन और लेखा–जोखा के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 10 में अपराध और शास्तियों के सम्बन्ध में धारा 51 से 60 तक में कुल 10 धाराओं में प्रावधान किया गया है, जो कि निम्नलिखित है–

  धारा 51 में बाधा डालने, आदि के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है अर्थात् जो कोई युक्तियुक्त कारण के बिना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा, तो वह दोषसिद्धि पर एक वर्ष तक के कारावास से या जुर्मान से, या दोनो से दण्डनीय होगा।

  धारा 52 में मिथ्या दावे के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है जो कि दो वर्ष तक के और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

  धारा 53 में धन या सामग्री आदि के दुरूपयोजन के लिए दण्ड के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

  धारा 54 में मिथ्या चेतावनी के सम्बन्ध में दण्ड का प्रावधान किया गया है जो कि एक वर्ष तक के कारावास व जुर्माना का है।

  धारा 55 में सरकार के विभागों द्वारा अपराध में सम्बन में प्रावधान किया गया है।

  धारा 56 में अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता के सम्बन में प्रावधान किया गया है।

  धारा 57 में अध्यपेक्षा के सम्बन्ध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है जो कि एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है।

  धाना 58 में कम्पनीयों द्वारा अपराध को भी दण्डनीय बनाया गया है।

  धारा 59 में अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का प्रावधान किया गया है। अर्थात् धारा 55 और धारा 56 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति,

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

धारा 60 अपराधों का संज्ञान के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

- आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 11 में प्रकीर्ण के सम्बन्ध में धारा 61 से 79 तक में कुल 19 धाराओं में प्रावधान किया गया है।

महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 की उपयागिता

महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अध्यादेश के द्वारा महामारी अधिनियम 1897 में जो भी संशोधन किये गये थे वे वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में कॉफी कारगर सिद्ध हुए, क्योंकि जिस समय पूरा देश महामारी से जूझ रहा था उस समय बौखलाई जनता चिकित्सकों के प्रति हिंसात्मक रवैया अपना रहीं थी उस सन्दर्भ में महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को पारित करना वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवश्यक हो गया था, जिसमें ऐसे प्रावधानों का समावेश किया गया जो कि ऐसी परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध हुऐ।

महामारी अधिनियम, 1897 तथा महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 का तुलनात्मक अध्ययन

महामारी अधिनियम, 1897 तथा महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 का तुलना करने पर ज्ञात होता है कि महामारी अधिनियम 1897 के अधिनियम में बहुत से प्रावधानों की कमी थी, जैसे– अधिनियम में परिभाषा खण्ड का न होना, सेवा कर्मिकों तथा चिकित्सकों के प्रति हिंसा होने पर निवारण सम्बन्धी प्रावधानों का न होना, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर दण्ड की मात्रा का कम होना, अभियोजन सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानों का न होना इत्यादि।

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश[9]

वैश्विक महामारी कोविड–19 की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये गये–

- मास्क का प्रयोग करना।
- एक–दूसरे से सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये दो गज दूरी बनाये रखना।
- बार–बार साबुन से हाथ धोना ताकि वायरस से बचाव हो सके।
- बजार से फल या सब्जी लाने पर उन्हें अच्छी तरह से गरम पानी से धो कर ही प्रयोग करें।
- खांसी या झुखाम होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र जाये, और कोविड की जॉच करवाये। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजीटिव पाया जाता है तो उसे व उसके पूरे परिवार को 14 दिन के लिये क्वारंटीन करना।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

9. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिये कोविड जॉच करवाकर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही प्रवेश देने।
- मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर, सिनेमाघर, जिम, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, पार्क आदि सार्वजनिक स्थलों को प्रतिबन्धित कर बन्द रखना।
- शादी समारोह आदि में सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए संख्या को नियन्त्रित करना।
- सार्वजनिक यातायात को नियन्त्रित करना।
- शैक्षणिक संस्थानों को अग्रिम आदेश तक बन्द रखना।
- कोविड कर्फ्यू अवधि में नगर निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थलों तथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़–भाड वाले स्थनों को निरन्तर सैनीटाइज करवाना।
- विभिन्न क्षेत्रों में कोविड केयर सेन्टर बनाना व जिस क्षेत्र में कोविड मरीज की संख्या अधिक है उसे कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करना।

निष्कर्ष

वैश्विक महामारी कोविड–19 की रोकथाम के लिए महामारी (संशोधन) अध्यादेश 2020 कितना कारगर सिद्ध हुआ शीर्षक का अध्ययन करने के बाद निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कोविड–19 की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रयासों में भले ही शीघ्र सफलता ना मिली हो किन्तु सरकार द्वारा कोविड–19 की रोकथाम के लिए बनाये गये नियम, विनियम, अधिनियम, अध्यादेश व दिशा–निर्देशों के माध्यम से उठाये गये कदम बहुत हद तक सार्थक सिद्ध हो पाये, क्योंकि इन प्रयासों ने देश की कोविड महामारी से प्रभावित संक्रमित जनसंख्या को नियन्त्रित कर संक्रमण को कम किया।

जहॉ भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करने की गारण्टी देता है, जिसका कि उत्तरदायित्व राज्य पर अधिरोपित है, वहीं राज्य द्वारा लॉकडॉउन जैसा कदम उठाया जाना, चिकित्सा व्यवस्था को दुरूस्त करना आदि, जन–कल्याण के हित में रहा, क्योंकि इससे कोविड संक्रमण की रफ्तार को तोडने में मदद मिली।

यदि आज समाज इस वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रभाव से उभर पाया है, तो इसके पीछे भारत सरकार द्वारा चलायी गयी नीतियो की अहम भूमिका है, आज कोविड मरीजों को समय पर ईलाज मिलना, कोविड वायरस के प्रति समाज को जागरूक कर कोविड वायरस सम्बन्धी जानकारी मुहैय्या करवाना, गॉव–गॉव तक जन कल्याण हेतु स्वरोजगार नीतियॉ चलाना, कोविड वायरस वैक्सीन उमर के आधार पर निशुल्क प्रदान करना अर्थात् सर्वप्रथम 60 वर्ष से ऊपर के

नागरिकों को वैक्सीन लगायी गयी उसके बाद 45 वर्ष से 60 वर्ष के नागरिकों तक उसके बाद 18 वर्ष से 45 वर्ष के नागरिकों पर वैक्सिीन लगायी गयी, आदि नीतियॉ चलाकर सरकार ने सिद्ध कर दिया कि जन कल्याण ही सरकार का परम धरम है।

उपरोक्त शीर्षक के सम्बन्ध में शोधार्थी का मत है कि उक्त विषय पर गहन शोध की आवश्यक है जिससे महामारी की रोकथाम हेतु सरकार को समय रहते सार्थक सुझाव प्राप्त हो सके।

सुझाव

वैश्विक महामारी कोविड–19 की रोकथाम के लिए महामारी (संशोधन) अध्यादेश 2020 कितना कारगर सिद्ध हुआ शीर्षक का अध्ययन करने के बाद शोधार्थी द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं–

- वैश्विक महामारी कोविड–19 की रोकथाम हेतु सरकार द्वार सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपचार किया गया साथ ही कई कोविड केयर सेन्टर बनाये गये, फिर भी बेड की कमी वास्तव में अस्पतालों में खलती रही साथ ही जो अस्पताल सरकारी नहीं थे उन्होंने अपने उपचार को इतना महंगा कर दिया कि निचले तबके का व्यक्ति उन अस्पतालों तक न पहॅुच सके।

  इस बिन्दु पर शोधार्थी द्वार सुझाव यह है कि अस्पताल चाहे सरकारी हो या प्राईवेट सरकार को ऐसी नीतियॉ का निर्धारण करना चाहिये कि हर कोई वैश्विक महामारी के दौरान अपना निशुल्क उपचार करवा सके।
- वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान अनेक अधिनियमों का सहारा लिया गया क्योंकि इस सम्बन्ध में विधायिका द्वारा पूर्व में अलग से कोई कानून प्रावधानित नहीं था, आवश्यकता है कि अब महामारी के सम्बन्ध में कोई ठोस व निश्चित कानून बनाया जाय, जिसके अन्तर्गत महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु उपाय हो, केन्द्रीय व राज्य स्तर के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर बोर्ड का गठन हो, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर दण्ड के उचित प्रावधान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था हो तथा न्यायालय प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का स्पष्ट प्रावधन हो एवं न्यायालय की शक्तियों का अपवर्जन न हो,
- वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कई बार अपनी शक्तियों के अधिकारातीत होकर कार्य करना पड़ा जिसका गलत प्रभाव समाज पर पड़ा, अधिनियम में यह भी स्पष्ट प्रावधान होना आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने दायित्व के अधीन कार्य करे, व अधिकारातीत कार्य होने पर उन पर भी दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान हो।
- वैश्विक महामारी के दौरान देखा गया कि आम जनता के मध्य महामारी का खौफ इस कदर घर कर गया कि लोगो द्वारा बिना जरूरत के भी समानों का भण्डारण करना शुरू किया गया जिसका नतीजा यह निकला कि लोगो द्वारा बिना जरूरत के भी आक्सीजन सिलेण्डरों

को अपने घर पर रखना शुरू कर दिया जिससे अस्पतालों में आक्सीजन सिलेण्डरों की भारी कमी हो गयी, सरकार को अधिनियम में जनता के प्रति यह कर्तव्य भी अधिरोपित करना चाहिए कि समाज बिना किसी कारण के किसी भी प्रकार का भण्डारण न करे।

संदर्भ ग्रन्थ

1 भारत का संविधान

2 महामारी अधिनियम 1897 (https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1897-03.pdf)

3 महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020 (https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/219108.pdf)

4 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (https://cdn.s3waas.gov.in/s365658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9/uploads/2018/04/2018041720.pdf)

5 इण्टरनेट

6 भारतीय अखबार

7 न्यूज चेनलों से प्राप्त जानकारी

8 **https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1**

9 **विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट, https://www.who.int**

10 **https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019**

11 **https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public**